

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (Government of India : Ministry of Home Affairs)
हैदराबाद रु Hyderabad- 500 052.

Inter Office Note

Sub : **Notified RRs for the post of Head Constable (Band) - Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Head Constable (Band) is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under "Recruitment Rules" column


(Dr. Nikhil J. Gupta)
Deputy Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 19011/01/2009/Estt/RRs/A-5/Head Constable (Band)

Dated: 28.03.2019

If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/132/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 323.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी प्रधान कांस्टेबल (बैंड) भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रधान कांस्टेबल (बैंड) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रधान कांस्टेबल (बैंड) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रधान कांस्टेबल (बैंड)	03* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल - 2 (रु. 19900-63,200/-)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

(11)

प्रोन्नति :

अ) आरक्षक (बैंड) जिनकी वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1, (रु. 18000-56900/-) में 03 वर्षीय नियमित सेवा हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय पुलिस संगठनों या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस संगठनों के सरकारी कर्मचारियों में से ;

अ) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद रखने वाले ; या

ब) आरक्षक (बैंड) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1, (रु. 18000-56900/-) में

नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के बाद वर्तमान काडर या विभाग में 03 वर्षीय नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य भूतपूर्व काडर उसी प्रकार के या किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह – ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता ।
1. उप निदेशक	– अध्यक्ष,
2. सहायक निदेशक	– सदस्य, और
3. प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी-2 या श्रेणी-3)	– सदस्य

[फा. सं. 23011/44/2017-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 30th September, 2018

G.S.R. 323.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Constables (Band) Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Constable (Band) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Head Constable (Band) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Head Constable (Band)	03*(2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group-‘C’ Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-2 (Rs. 19900-63200/-)	Non-Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
<p>Promotion:</p> <p>(a) From amongst Constable (Band) with three years regular service in the level-1 (Rs. 18000-56900/-) of the Pay Matrix.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officials from amongst CPOs or CAPFs or State Police Organisations :-</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) Constable (Band) with three years regular service in the level-1 (Rs. 18000-56900/-) of the Pay Matrix in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note-2. The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:	Not applicable.
1. Deputy Director – Chairman	
2. Assistant Director – Member; and	
3. Administrative Officer (Grade-II or Grade-III) – Member.	

[F. No. 23011/44/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 324.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कृषि और सहकारिता विभाग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्र काडर पद, उप कृषि विपणन सलाहकार, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन अधिकारी (समूह-I और समूह-III) भर्ती नियमावली, 2005 का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक उनका संबंध उप-कृषि विपणन सलाहकार (समूह-III), सहायक कृषि विपणन सलाहकार (समूह-III), वरिष्ठ विपणन अधिकारी (समूह-III) और विपणन अधिकारी (समूह-III) से है, उन बातों के सिवाए, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अधीन विपणन और निरीक्षण निदेशालय में क्षेत्र काडर पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्र काडर पद, उप कृषि विपणन सलाहकार, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन अधिकारी (समूह-III) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं इत्यादि.**—उक्त पदों के लिए भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य मामले इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) विनिर्दिष्ट किए गए रूप में होंगे।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: